[निजी प्रसार के लिए]

अंक ३२

नई दिल्ली, अक्टूबर २०१२

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'निरोधक पुलिसिंग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है'

श्री अनिल शुक्ला

दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर के पद पर कार्यान्वित श्री अनिल शुक्ला से पुलिसिंग के विभिन्न मुद्दों पर ज़ीनत मलिक द्वारा लिये गये साक्षात्कार के अंश।

सर, मैं सबसे पहले पुलिसिंग के दो मुख्य कार्य 'जाँच' और 'कानून व्यवस्था' को अलग किये जाने पर आपके विचार जानना चाहूँगी। क्या इन दोनों शाखाओं को अलग करने से पुलिस दोनों ही कार्यों में अधिक सक्षम हो सकती है?

उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार के बारे में कुछ दिशा–निर्देश दिये हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि "कानून व व्यवस्था" तथा "जाँच" करने वाली पुलिस को अलग करना चाहिए। इसके मद्देनजर हमने कुछ कदम उठाए हैं जिसके अनुसार दिल्ली के हर थाने में, करीब १५० थानों में एक अनुसंधान इंस्पेक्टर दिया गया है जिसके साथ कुछ और भी पुलिसकर्मी होते हैं और वह केवल जाँच का काम करते हैं। हांलाकि, किसी भी अधिकारी को केवल जाँच के लिए ही रखा जाता है ऐसा कहना तो अतिश्योक्ति होगी। ऐसा करना उस समय और कठिन हो जाता है जब केस में कानून–व्यवस्था का पहलू भी शामिल हो। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होती है तो यह ध्यान रखा जाता है कि अनुसंधान अधिकारी को किसी और काम पर न लगाया जाए।

इसके अलावा हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट इंवेस्टीगेशन यूनिट (डी.आई.यू.) की स्थापना की गई है जो केवल जाँच का काम करती है, उन्हें कानून व व्यवस्था की कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी विशिष्ट शाखाएं हैं हमारी, जोकि जाँच का काम करती हैं जैसे हमारे पास स्पेशल इंवेस्टीगेशन सेल है जोकि ऐसे केसों की जाँच करती है जिसमें केंद्रीकृत जाँच की आवश्यकता होती है, जहाँ संगठित अपराध होते हैं या अंतरराज्यीय अपराध हो। इसके अलावा एक और विशिष्ट शाखा है जिसे वित्तीय अपराध शाखा कहते हैं जोकि व्हाईट कॉलर क्राईम से जुड़े केसों को देखती है। इस प्रकार अनुसंधान के लिए विशिष्ट सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश तो की जा रही है फिर भी कानून–व्यवस्था और जाँच के लिए पुलिस को पूरी तरह विभाजित करना अभी सम्भव नहीं है। हांलाकि हमारी लगातार कोशिश होती है कि जाँच विंग वाले कर्मियों को रूटीन जुलूस के काम में, वी.आई.पी. ड्यूटी में या रोज़मर्रा के बंदोबस्त ड्यूटी पर न लगाएं। फिर भी, अगर कोई शराब पीकर दंगा करने का मामला आया है और इसके कारण लोगों को चोट लगी हो और फिर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के कारण अगर केस में जाँच की आवश्यकता है तो दोनों काम के लिए पुलिस को अलग करना असम्भव है।

स्पेशल सेल/क्राईम ब्रांच या विशेष अपराध शाखा किस प्रकार दूसरी जाँच शाखाओं से अलग काम करती है?

अपराध शाखा केन्द्रीय स्तर पर काम करती है। इसमें दो प्रकार से केस की जाँच होती है– एक तो कई केस अपराध शाखा में सीधे दर्ज किये जाते हैं। इसके लिए एक सेन्ट्रल थाना है जहाँ सीधे केस दर्ज कराया जा सकता है। कोई केस इस थाने में दर्ज हो सकता है या नहीं यह डी.सी.पी. क्राईम ब्रांच से सम्पर्क करके पता लगाया जा सकता है। दूसरा, कई केस अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण स्थानीय थानों से यहाँ हस्तांतरित किये जाते हैं।

जब केस अपराध शाखा को ट्रांसफर किया जाता है तब अपराध शाखा नये सिरे से और स्वतंत्र रूप से इसकी जाँच करती है। स्थानीय पुलिस द्वारा एकत्रित सभी सूचनाओं की फाईल उन्हें सौंप दी जाती है। बाद में जाँच के लिए अगर अपराध शाखा की पुलिस को स्थानीय पुलिस की सहायता की आवश्यकता होती है तब उन्हें वह उपलब्ध कराई जाती हैं। पुलिस की विभिन्न शाखाओं का आपसी सामंजस्य किसी भी केस को शीघ्र हल करने और अपराधी को पकड़ने में आवश्यक होता है। अभी आपने डिफेंस कॉलोनी से ६.२५ करोड़ की लूट का मामला देखा होगा, उसमें पुलिस इतनी जल्दी धन की वसूली और गिरफ्तारी आपसी सामंजस्य से ही कर सकी है।

सर, जाँच और कानून व्यवस्था के बाद अब कृपया उच्चतम न्यायालय के एक और दिशा निर्देश – सभी राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना के बारे में अपने विचारों से अवगत करायें, दिल्ली में इस प्राधिकरण की स्थापना हाल ही में की गई है। यह किस प्रकार प्रभावपूर्ण हो सकता है?

जब से प्राधिकरण वजूद में आई है तब से हम लोग लगातार इसकी मीटींग में सम्मिलित हो रहे हैं और जो भी केस प्राधिकरण से हमारे पास जाँच के लिए आते हैं हमारी स्वतंत्र विजिलेंस यूनिट है जो इसकी इंक्वायरी करती है और फिर इसकी रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजी जाती है, इस पर उन्हें जो भी कार्यवाही करनी होती है, वे करते हैं। इसकी सुनवाई प्राधिकरण द्वारा की जाती है और उस समय वे लोग भी उपस्थित होते हैं जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है और वे लोग भी होते हैं जिन्होंने उस पर इंक्वायरी की होती है। इसकी सुनवाई एक बार से अधिक भी हो सकती है यह प्राधिकरण पर निर्भर करता है। यह एक बहुत अच्छा कदम है। हालांकि, अभी तो बहुत कम समय गुजरा है लेकिन भविष्य में इसके साकारात्मक परिणाम आएंगे।

आप थाना स्तर पर एस.एच.ओ. को क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे कि जाँच और दोषसिद्धि में बेहतरी आ सके?

देखिए, एस.एच.ओ. पर थाने की पूरी ज़िम्मेदारी होती है वह अपने क्षेत्र का इंचार्ज होता है। किसी केस की जाँच के बारे में जाँच अधिकारी को उससे सलाह करनी चाहिए कि जाँच किस प्रकार पूरा करना है। जाँच, एक अधिकारी की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी होती है फिर भी, चार्जशीट के पहले एस.एच.ओ. और आई.ओ को साथ बैठकर सलाह करनी चाहिए। साथ ही, जो अभियोजन के वकील होते हैं उनकी सलाह के बाद ही अंतिम चार्जशीट दायर की जाती है।

सर, इस संदर्भ में अभियोजन के वकील प्रायः यह कहते हैं कि पुलिस हमारे पास राय लेने के लिए तब आती है जब जाँच उनकी ओर से पूरी हो चुकी हो या चार्जशीट दायर करने में १ या २ दिन ही बचे हों, इसलिए हमारी सलाह का अधिक महत्व नहीं रह जाता, क्या इसमें सुधार की गुंजाईश है?

हम लोग भी चाहते हैं कि समय से अभियोजन के वकील की राय ली जा सके ताकि उसे चार्जशीट में सम्मिलित किया जा सके। ऐसा करने के लिए लगातार जाँच अधिकारी को हिदायत दी जाती है। लेकिन, निश्चित रूप से इसमें और अधिक सावधानी रखी जा सकती है।

पुलिस की आंतरिक समस्याएं क्या है जिसके कारण पुलिस को सही मकसद को पूरा करने के लिए भी कानूनों का उल्लंघन करना पड़ता है, वह भी इस कारण कि कानून में कुछ कमी या कमज़ोरी है। क्या आपके विचार में इनमें बदलाव करने की आवश्यकता है?

मेरे विचार में कानून में ऐसी कोई कमी है न कमज़ोरी है हमारा मान

शेष भाग पृष्ठ ४ पर ....

बूझो और जीतो–१०

प्रिय पाठकों,

लोक पुलिस पत्रिका द्वारा आपके लिए इस रोचक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत की गई थी। जिसके अंतर्गत आपसे केवल ५ सवाल पूछे जाते हैं, जो आपके काम से सम्बन्धित होते हैं। आप इसके लिए अपना प्रवेश भेज सकते हैं। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाएगा और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित किये जाएंगे, अगर सही जवाब भेजने वालों की संख्या अधिक हो तो लकी ड्रा से विजेताओं का नाम निकाला जाता है। कृपया अपने जवाब समय का ध्यान रखते हुए भेजें ताकि आपके जवाब को इसमें सम्मिलित किया जा सके। किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित है:–

१. वारंट केस किसे कहते हैं? इसे किस प्रावधान में परिभाषित किया गया है?
२. सबसे निचले स्तर का आपराधिक न्यायालय क्या कहलाता है?
३. क्या पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट जमा करने के बाद भी, अदालत इस केस पर आगे जाँच या इंक्वायरी का आदेश दे सकती है?
४. क्या एक ७ साल से बच्चे के विरुद्ध चोरी के लिए एफ.आई.आर. दर्ज किया जा सकता है? किस प्रावधान के अंतर्गत?
५. क्या पुलिस सेना के किसी सदस्य को गिरफ्तार कर सकती है?

बूझो और जीतो – ९ का परिणाम

जुलाई २०१२ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. हाँ, दण्ड प्रक्रिया संहिता (द.प्र.सं.) की धारा १५१(१) के अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी कर सकता है।
२. डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए.आई.आर. १९९७ एस.सी., ६१० के केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देश, पुलिस द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारी के समय प्रक्रियाओं से सम्बन्धित है। इसमें कुल ११ दिशा निर्देश दिये गये हैं।
३. द.प्र.सं. की धारा ५७ के अंतर्गत जाँच की न्यूनतम अवधि है २४ घण्टे। अगर इससे अधिक समय के लिए जाँच करने की आवश्यकता है तो द.प्र.सं. की धारा १६७ के अंतर्गत सम्बन्धित केस में गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
४. नहीं, पुलिस को शमनीय केसों में भी समझौता कराने का अधिकार प्राप्त नहीं है। समझौता केवल अदालत द्वारा ही करवाया जा सकता है।
५. प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (१९८०) के केस में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार हथकड़ी केवल तब लगाई जा सकती है जब कोई व्यक्ति
क) गंभीर अजमानतीय अपराधों में शामिल हो, पहले किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया हो, और/या
ख) वह स्वभाव का – हिंसक, उपद्रवी या विध्वंसकारी है, और/या
ग) उसके आत्म हत्या करने कि संभावना हो, और/या
घ) उसके भागने की कोशिश करने की संभावना हो।

नोट– हांलाकि, इस बार किसी भी सहभागी के सभी उत्तर सही नहीं थे। इसलिए किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सका। सहभागी अपने उत्तर की जाँच कर सकते हैं।

अपना जवाब हमें लिखें या ईमेल करें–

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१–११–[illegible]
फैक्स : +९१–११–[illegible]
ई–मेल : [illegible]@gmail.com
वेबसाईट : [illegible]

पुलिस महानिदेशकों व पुलिस महानिरीक्षकों की कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री का भाषण

अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने पुलिस महानिदेशकों की वार्षिक कांफ्रेंस के दौरान देश में बढ़ते हुए साम्प्रदायिक घटनाओं और सामाजिक मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जतलाते हुए अपने भाषण में कहा–पुलिस अधिनियम को लागू हुए १५० वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान हमारे पुलिस बल की अनगिनत कहानियाँ–साहस, धैर्य और त्याग का उदाहरण रही हैं। हज़ारों महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने अपने कर्यत्वों का निर्वाह करते हुए, जान गंवाई है। मैं, आप सब लोगों के साथ मिलकर इन साहसी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

मुझे यह घोषणा करने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत में पुलिसिंग के १५० वर्ष के पूरा होने की चिन्ह के रूप में उन सभी पुलिसकर्मियों को एक संस्मारक पदक भेंट किया जाएगा जो मार्च २०११ और फरवरी २०१२ के मध्य ड्यूटी पर थे। मैं इस अवसर पर उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ जिन्हें आज पदक दिये गये हैं। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में वे बड़ी संख्या में इसके उच्च स्तर को प्राप्त करेंगे।

इस बेहद महत्वपूर्ण कांफ्रेंस का आज समापन दिवस है। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि आप लोगों ने देश में पुलिसिंग से सम्बन्धित अहम मुद्दों पर चर्चा किया होगा। मैं आपके विचारों में कुछ बिन्दुओं को जोड़ना चाहता हूँ जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप सावधानी पूर्वक ध्यान दें।

प्रजातीय, धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता हमारे देश में शक्ति और उत्साह का स्रोत है। इसलिए, हमें अपने बहुरंगी समाजिक उद्देश्य के द्वारा एकता के इस धागे को लगातार मज़बूत करना ही होगा। यह इस संदर्भ में है कि पिछले कुछ महीनों में देश में साम्प्रदायिक घटनाओं में बढ़ोतरी और पिछले कुछ सप्ताहों में उत्तर पूर्व में प्रजातीय संघर्ष व तनाव में पुनः परिवर्तन हम सबके चिंता का कारण है। उत्तर पूर्व की प्रजातीय अशांति ने राष्ट्रीय परिमाप ले लिया जब यहाँ रहने वाले लोग दक्षिण और पश्चिम प्रांतों से वापस अपने प्रदेश जाने लगे। इसके देश में साम्प्रदायिक परिस्थिति को और तनाव पूर्ण बना दिया जोकि पहले ही विकृति के चिन्ह दिखला रहा था विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में।

अन्तर समिति के रिश्तों में कटाव आना ऐसी बात है जिससे हम सबको चिंता होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि ऐसे कटाव को रोकने में प्रशासनिक व्यवस्था की क्षमता कमजोर हुई है। यह कहना पुलिस प्रशासन के बारे में भी सही होगा। इसलिए, अब पुलिस बल के लिए दोबारा ध्यान केन्द्रित करने के लिए यह केस है कि वह प्रभावपूर्ण तरीके से लोगों के मनोभाव को पढ़ें और अन्तर समुदायिक तनावों को दूर करें। सम्भावित उपद्रवियों की पहले से ही पहचान करें, रोकथाम सम्बन्धित प्रावधानों का समय से उपयोग करें, समुदाय से मदद मांगने को स्थिति बिगड़ने के पहले ही हथियार के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। यह ख़ासतौर से महत्वपूर्ण है कि समाज के अधिक संतुलित लोगों की सहायता ली जाए ताकि अधिक असहनशील और लड़ाके लोगों के अधिकार को कम किया जा सके। हमें अपने पुलिसकर्मियों में इन कौशलों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिलवाना चाहिए। पुलिसिंग का भाग रहे, मूलभूत जानकारी और समाचार प्राप्त करने के पारम्परिक तरीके कुछ स्थानों पर दुर्बल हो गए हैं। एक सतर्क और प्रभावपूर्ण बीट अफ़सर की भूमिका सामुदायिक तनाव का पता लगाने में महत्वपूर्ण हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पुलिसिंग के इस पहलू पर ध्यान देंगे।

बड़ी संख्या में एस.एम.एस. और सामाजिक मीडिया के उपयोग द्वारा सामुदायिक स्थिति को भड़काना, हाल के दौर में हुई गड़बड़ियों में हमारे सामने एक नई चुनौती के रूप में उभरी है। हमें यह पूरी तरह समझना होगा कि इस नई मीडिया का उपयोग किस प्रकार बदमाशों द्वारा किया जा सकता है। इस नए स्रोत द्वारा भ्रम फैलाने के विरुद्ध भी हमें एक रणनीति तैयार करनी होगी। मीडिया के ऐसे उपयोग को नियंत्रित करने के किसी भी उपाय को बनाते समय हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान रखना होगा। मैं आशा करता हूँ कि अगामी महीनों में हमारी पुलिस बल इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कोई प्रभावपूर्ण रणनीति तैयार कर लेगी।

वामपंथी चरमपंथी दलों की धीरे–धीरे अपनी संख्या बढ़ाने की क्षमता, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की क्षमता और देश की सात प्रभावित बहनों के क्षेत्र में अपनी मज़बूत स्थिति बनाना हम सबके लिए चिंता का कारण है। हार्डवेयर बनाने की स्वदेशीय क्षमताओं का संकलन और समाज के एक वर्ग को सैद्धांतिक रूप से भ्रांतिक्ष परिवर्तन की योग्यता और मानवाधिकार के उल्लंघन का हल्ला मचाना स्थिति की जटिलता को बढ़ाने में मदद करता है। तत्कालिक विस्फोटक पदार्थों से बने उपकरणों के उपयोग से मानव जीवन की क्षति को रोकने और वामपंथी चरमपंथियों के द्वारा अन्तरराज्यीय सीमाओं के दुरुपयोग को रोकने में अर्धसैनिक बलों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। राज्य पुलिस बल को अपनी ओर से यह सुनिश्चित करना ही होगा कि वामपंथी चरमपंथी गिरफ़्तार किये जाएं और अति शीघ्र व प्रभावपूर्ण रूप से उन पर मुकदमा चलाया जाए।

वामपंथी चरमपंथी प्रभावित राज्यों को जनता–पुलिस के अनुपात को बेहतर बनाने, अवसंरचना को मज़बूत करने और अपने पुलिसकर्मियों को बेहतर हथियारों, बेहतर संचार के साधनों और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

जम्मू व कश्मीर में, हम लोगों ने लाईन ऑफ कंट्रोल और यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगातार बढ़ते हुए घुसपैठ की कोशिश को देखा है। इस बात के भी संकेत मिले हैं कि आतंकवादी ग्रुप ने समुंद्री मार्ग के उपयोग की योग्यता भी बना रखी है। इसलिए सतर्कता न केवल हमारी ज़मीनी सीमा पर बना कर रखी जानी चाहिए बल्कि समुंद्री तटों पर भी। नौसेना द्वारा समुद्री डोमेन के प्रति जागरूकता के लिए एक व्यापक स्कीम से तटीय सतर्कता में मदद मिलेगी जबकि अधिक स्थायी अवरोध और संवेदक की स्थापना से जमीनी सीमा पर स्थिति सुधर सकती है। जम्मू व कश्मीर में हाल के घुसपैठ के दबाव के बावजूद, पुलिस और सुरक्षा बलों के सहयोगपूर्ण प्रयत्न से जम्मू व कश्मीर राज्य में आतंकवाद के कई ऑपरेशन और आतंकवादी हिंसा में सूचक कमी आई है। सुरक्षा वातावरण में सुधार के परिणाम स्वरूप इस वर्ष अमरनाथ यात्रा सफल रही और सैलानियों के आगमन में रिकॉर्ड संख्या में वृद्धि हुई। राज्य ने पंचायत चुनाव सफलता पूर्वक पूरे किये गये और अब यहाँ स्थानीय नगरीय निकायों के चुनाव की जिम्मेदारी ली गई है।

लेकिन भीतरी प्रदेशों में आतंकवाद की धमकी लगातार चिंता का कारण बनी हुई है। हांलाकि १६ बार रोका गया फिर भी, आतंकवादी पिछले वर्ष मुंबई व दिल्ली में तथा इस वर्ष पुणे में हमला करने में सफल रहे। इन केसों में जाँच अब भी पूरी नहीं हुई है। हम आज भी आतंकवादी खतरे के विरुद्ध पहले से ही कार्यवाही करने के क्षमता निर्माण में लगे हुए हैं। परिचालन सम्बन्धी पद्धति का दोबारा एकत्रिकरण, पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण और राज्यों और केन्द्र के बीच बेहतर सामंजस्य, इस धमकी से निपटने के लिए हमारे सम्पूर्ण कार्यनीति के अंग होने चाहिए।

इस कांफ्रेंस के पहले के अवसरों पर मैंने इस बात पर बल दिया था कि पुलिस में उपलब्ध सभी रिक्त स्थानों को भरा जाना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि पिछले ३० महीनों में ३.६ लाख पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भर्ती हुई है और ६.३५ लाख को प्रशिक्षण दिया गया है। लेकिन राज्यों द्वारा रिक्त पदों की भर्ती के लिए अधिक प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है।

पुलिस नेतृत्व को भी अपने बल के योजनाबद्ध तकनीकी उन्नयन के लिए स्वंय को समर्पित करना चाहिए। ऐसे कई नए व उभरते हुए क्षेत्र हैं जिसमें हमारी पुलिस बल को नई निपुणता विकसित करने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही बदमाशों द्वारा नई मीडिया के उपयोग से झूठ और अफवाह फैलाने का उल्लेख किया है। दूसरा ऐसा क्षेत्र हमारी साईबर सुरक्षा का है। साईबर अपराधों से सम्बन्धित हमारे देश की अतिसंवेदनशीलता बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण अवसंरचना लगातार कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट पर अन्तः निर्भर हैं। बड़े पैमाने पर कंप्यूटर आक्रमण हमारी अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के लिए विनाशकारी परिणाम दे सकता है। सरकार, मज़बूत साईबर सुरक्षा और संरचना पर काम कर रही है जो धमकी प्रबन्धन और मिटिगैशन, गारंटी और सर्टिफिकेशन विशेषकर क्षमता निर्माण और शोध का सम्बोधन करेगा। इसके लिए हमें सरकार, शैक्षणिक समुदाय और निजी क्षेत्रों के बीच भागीदारी स्थापित करनी होगी।

ऐसी धारणा है कि महानगरों में महिलाओं और बुज़ुर्गों के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं। मैंने अपने सम्बोधन में गत वर्षों में भी इन विषयों को छुआ है। हमारे शहरों में सुरक्षा कायम रखने के लिए तकनीक के ज्ञान, अर्थ व्यवस्था और समाजशास्त्र से सम्बन्धित विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इसलिए, महानगरों में पुलिसिंग करना, विशेषकर संगठित अपराधों को नियंत्रित करना और इन क्षेत्रों में अतिसंवेदनशील लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस बल द्वारा केन्द्रित ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह कुछ विचार हैं जिन्हें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं आप लोगों द्वारा हमारे देश में कानून के राज को सुनिश्चित करने के प्रयत्न और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाये रखने की कोशिश के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

(सौजन्य : आई बी एन लाईव डॉट ईन डॉट कॉम ८ सितम्बर २०१२)

क्या आप जानते हैं ?

इस श्रृंखला के अंतर्गत, इस अंक में पुलिस के काम में संकलित इंटरनेट पर आधारित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए विकसित की गई गृह मंत्रालय की एक परियोजना जिसे संक्षिप्त में अंग्रेजी में 'सिपा' कहा जाता है, के बारे में सामान्य जानकारियों को प्रस्तुत किया जा रहा है। यह दो भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। हमें आशा है कि इस जानकारी के ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने से पाठकों को, पुलिस द्वारा इंटरनेट और दूसरे वेब पर आधारित और एकत्रित सूचनाओं के आदान प्रदान की पद्धति को समझने में सहायता मिलेगी।

सामान्य संकलित पुलिस उपयोग या कॉमन इंटिग्रेटेड पुलिस ऐपलिकेशन

(गृह मंत्रालय की एक परियोजना)

प्रासंगिक और सामयिक जानकारियों की उपलब्धता पुलिस के काम में बेहद ज़रूरी है, विशेषकर अपराधों की जाँच और अपराधियों का पता लगाने में। प्रत्येक स्थान पर पुलिस संगठन इस प्रकार के बहुत बड़े रिकॉर्ड को संभालती है। सूचना तकनीक या इनफॉरमेशन टेक्नालजी (आई.टी.), रिकॉर्ड को सहजता से रखकर, रिकॉर्ड की पुनःप्राप्ति तथा सूचनाओं के ढेर का विश्लेषण करके पुलिस संगठन के काम को बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पुलिस के विभिन्न पहलू की शीघ्र एंव सामयिक जानकारी उचित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने से अपराध, अपराधों से निपटने और सम्बद्ध ऑपरेशनों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आकस्मिक पूर्ण परिवर्तन आएगा।

आज अपराधी भी, अपराधों को अंजाम देने में तकनीक का वृहद प्रयोग करते हैं। इसके कारण देश भर में अपराध करने की उनकी क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर हमें अपराध नियंत्रण और कानून–व्यवस्था को ठीक से कायम रखने की चुनौतियों का प्रभावपूर्ण तरीके से जवाब देना है तब, अपराध और अपराधियों का डिजिटल डाटा बेस तैयार करना और इसे सबके द्वारा बांटने की आवश्यकता को अब और नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता है। इसलिए सभी राज्यों को आई. टी. सक्षम होना है, विशेषकर अपराध और उससे जुड़े कार्यों के लिए। इसके लिए आवश्यक है कि पुलिस आधुनिकीकरण को, सूचना एकत्रित करने, इसके प्रसार और इसे सभी संगठनों में बाँटने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया जाए ताकि अपराधियों पर पकड़ बनाई जा सके।

पिछले एक दशक से अधिक समय से, कई पुलिस संगठनों द्वारा इस विशेष क्षेत्र में आई.टी. को परिचित कराने की कोशिश की जाती रही है। इन कोशिशों के विस्तृत परीक्षण के बाद वर्तमान व्यवस्था में तीन कठिनाईयों की पहचान की गई और इसके बाद यह तय किया गया कि डाटा एकत्रित करने के सिद्धान्त पर केन्द्रीय स्तर पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। इसे डाटा उत्पन्न करने वाली प्राथमिक स्रोत से स्वचालित प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए । एक बार जब डाटा के प्राथमिक स्रोत अर्थात् थाना को स्वचालित कर दिया जाए, तब जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर आवश्यक व्युत्पन्न डाटा अपनेआप ही प्रवाहित हो जाएंगे। इसलिए अब नई रणनीति बनाई गई जिसके अनुसार 'बड़ा सोचो, छोटी शुरुआत करो और जितनी जल्दी सम्भव हो सम्पन्न करो' के सिद्धांत को अपनाया गया न कि पहले कि रणनीति जोकि बड़ा बनाने की थी।

उद्देश्य :–

•थाना स्तर पर हस्तचालित रिकॉर्ड /पंजीकरण में व्यापक कमी।

• दोहरा और अयोग्य रिकॉर्ड रखने का उन्मूलन।

• अपराधियों का ब्यौरा रखने में सहायता करता है।

• केसों की स्थिति की जानकारी रख सकते हैं।

•पुलिस के काम में पारदर्शिता के अंश से परिचित कराया जा सकता है।

• जाँच अधिकारी को रिकॉर्ड की उपलब्धता द्वारा सहायता पहुँचाना।

• वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण प्रदान करना।

•समय समय पर आवश्यक रिपोर्ट उत्पन्न करना।

• जनता को शीघ्र जवाब देना।

•थानों के अन्दर रोल आऊट के सॉफ्टवेयर टूल की खुला स्रोत।

• आगे की सहायता के लिए सरकार के पास स्वामित्व।

संरचना / रूपरेखा :–

पुलिस में आई.टी. के आरम्भ की रूपरेखा को आपराधों की जाँच और अपराधियों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है जोकि पुलिस के प्रमुख कार्य हैं। वर्तमान में यह कोशिश है कि ऐसी अवसंरचना और यंत्रावलि विकसित की जाए जिससे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता वाले अपराध और अपराधियों से सम्बन्धित जानकारी के लिए उपलब्ध हो क्योंकि यह व्यवस्थागत तरीके से थानों और आगे समूचे देश में एक समान है।

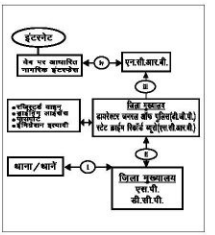

उपरोक्त संरचना में विभिन्न स्तरों पर सम्पर्क की प्रकृति इस प्रकार होती है:

१. अधिकांश अपराध और अपराधियों की जानकारी थाना स्तर पर उत्पन्न होती है जब केस दर्ज होता है, तब जाँच के दौरान सम्पत्ति की तलाशी और अधिग्रहण होता है, आरोपियों की गिरफ्तारी आदि से। थानों में जानकारी कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से अपने क्षेत्र में जाने माने अपराधियों/संदिग्धों की नियमित निगरानी से भी एकत्रित की जाती है। ऐसी जानकारियों को ज़िले के सभी थानों से लेकर जिला मुख्यालय में एकत्रित किया जाएगा जिसे सम्भवतः दूसरे थानों और उच्च स्तर पर बांटा जा सकता हो।

२. जानकारी, राज्य में सभी थानों द्वारा बांटी जाती है उदाहरण के तौर पर गुमशुदा व्यक्ति, चुराई हुई गाड़ियों, अज्ञात लाश, आपराधिक फाईल आदि, जिसमें उच्च स्तर पर निगरानी के उद्देश्य भी सम्मिलित हैं और यह जानकारियां थानों से होकर ज़िला मुख्यालय तक पहुंचती हैं, जहाँ इन्हें इकट्ठा किया जाता है और वापस थाना स्तर पर प्रसारित कर दिया जाता है।

३. उपरोक्त सूचना, अगर उपयुक्त हो तो इसे नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्युरो (एन.सी.आर.बी.) और इसे एक वेब पर आधारित इंटरनेट नागरिक इंटरफेस द्वारा जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

४. इस विकसित प्रयोग में बनाए और लागू किये गए डाटाबेस को दूसरे विभागों द्वारा जैसे गाड़ियों के पंजीकृन, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, भारत में आने वाले विदेशी नागरिक आदि से सम्बद्ध निचले स्तर से थानों तक राज्य मुख्यालयों द्वारा उपयोग किया जाता है।

(शेष अगले अंक में.....)

– प्रस्तुतिः जीनत मलिक

आपके विचार

महोदय,

मैं कांस्टेबल अरुण कुमार, थाना – बहरिया, इलाहाबाद में तैनात हूँ। *लोक पुलिस* पत्रिका पढ़कर मैं अपनी जानकारी को दिनों दिन बढ़ा रहा हूँ तथा कम्यूनिटी पुलिस के साथ –साथ मानवीय अधिकारों के प्रति सजग भी हो रहा हूँ।
महोदय इस पत्रिका के माध्यम से चाहूँगा कि हम लोगों को और अधिक दक्ष बनाने के लिए कुछ तथ्य जो हमारी कार्यप्रणाली को सुधार सकें, प्रकाशित किया जाए।

अरुण कुमार यादव
थाना–बहरिया इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

आदरणीय सम्पादक जी,
नमस्कार!
मैं मध्य प्रदेश पुलिस में सब–इंस्पेक्टर हूँ। आपकी पुलिस पत्रिका का नियमित पाठक हूँ, इसलिए आशा करता हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में भी लिखा जाएगा।

आपका शुभेच्छु
जी.एस.मार्सकोले
थाना अध्यक्ष नया गांव,
जिला–भिण्ड, मध्य प्रदेश

आदरणीय सम्पादिका जी,
नमस्ते!
मैं आपके इस पत्रिका को पाँच महीने से पढ़ रहा हूँ। अब मेरी सेवा करने की अवधि समाप्त हो गई है और मैं सेवा निवृत हो गया हूँ। आपकी पत्रिका मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं पत्र लिखने पर मजबूर हो गया हूँ। आशा है हमारे घर के पते पर पत्रिका भेज दिया करेंगी ताकि मैं इसे हमेशा पढ़ पाऊँ।

श्री मुकुंद कुमार तिवारी
सेवानिवृत पुलिस इंस्पेक्टर
पिपराही, जिला–शिवहर
बिहार–८४३३३४

सम्पादिका जी,
नमस्ते!
आपकी पत्रिका *लोक पुलिस* पढ़ने का गौरव प्राप्त हुआ। इस पत्रिका के माध्यम से दी जानी वाली जानकारियाँ बेहद कल्याणकारी हैं परन्तु हमारे थाने में यह पत्रिका कभी–कभी ही प्राप्त होती है, जब एस.एस.पी. कार्यालय से इसे भेजा जाता है। मैं इस पत्रिका का नियमित पाठक बनना चाहता हूँ। पत्रिका के अधिकांश साक्षात्कार आई.पी.एस. स्तर के अधिकारियों के ही होते हैं, निचले स्तर के अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाए तो अच्छा होगा।
अंक–२६ जुलाई २०१२ पढ़ा "तेरे सामने आसमाँ और भी हैं" जिससे मन में कुछ करने की आशा जागी। कृपया मुझे यह पत्रिका निजी स्तर पर प्रतिमाह दिया जाए।

श्री गोपाल सिंह
पुरानी यमुना कालोनी, डाक पत्थर
ज़िला–देहरादून, उत्तराखण्ड

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

एफ.आई.आर. के लिए महिला वकील आवश्यक

देश में यह अपनी तरह की पहली शुरुआत, गुड़गांव में की गई है जहाँ महिलाओं द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए एक महिला वकील का उनके साथ रहना अनिवार्य बना दिया गया है।

ऐसा करना इसलिए तय किया गया है ताकि एफ.आई.आर. दर्ज करते समय पुलिस द्वारा तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा न जाए। इस विषय से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश को मानते हुए अधिकारियों ने गुड़गांव के सभी २३ थानों से महिला वकीलों को जोड़ दिया है। इन महीलाओं के नाम उनके फोन नम्बर के साथ सार्वजनिक कर दिये जाएंगे और पुलिस को किसी महिला शिकायतकर्ता द्वारा छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, स्टॉकिंग, बलात्कार या घरेलू हिंसा से सम्बन्धित केस दर्ज करने के पहले अनिवार्यतः एक महिला वकील को बुलाना होगा।

ऐसा करने से आशा की जा रही है कि तथ्यों की सही तरीके से प्रस्तुति हो सकेगी और साथ ही साथ शिकायतकर्ता और पीड़िता को अपनी बात कहने में सहजता का अनुभव भी होगा।

इस निर्णय के बारे में जिला व सत्र जज श्री बी.बी.पारसून द्वारा जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि "एफ.आई.आर. में तथ्यों की सही प्रस्तुति न्याय की ओर पहला कदम है। कई बार पीड़िता प्रतिकूल वातावरण के कारण अपराध के सभी पहलुओं के बारे में नहीं बतला पाती है और कभी कभी पुलिसकर्मी भी एफ.आई.आर. के साथ छेड़खानी करते हैं जोकि बाद में न्याय पाने के रास्ते का रोड़ा बन जाता है। ऐसा इसलिए ही किया गया है और सभी महिलाओं को इस बात का एहसास होना चाहिए कि थाने से महिला वकील उपलब्ध होना उसका अधिकार है और उन्हें इस बात की मांग करनी चाहिए। यह उच्चतम न्यायालय का निर्देश है और हमें इसे मानना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महानगरों में भी यह अनुपस्थित है, छोटे शहरों की बात तो छोड़ ही दें, लेकिन गुड़गांव में शुरुआत करके हम सभी के लिए आसानी से न्याय पाने की राह में बदलाव करना चाहते हैं।"

हरियाणा सरकार द्वारा यह कोशिश सराहनीय है और भविष्य में इसके अच्छे परिणाम दिखाई देने की आशा है।

(सौजन्य : द्विब्यून इंडिया डॉट कॉम, १४ सितंबर २०१२)

लिंग जाँच के केसों के लिए अलग जाँच ब्यूरो व थाना

राजस्थान में, बच्चों के लिंग अनुपात से चिंतित होकर तथा लगातार कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ते केसों को देखते हुए, राज्य सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) जाँच ब्यूरो और एक केन्द्रीकृत थाना के स्थापना के लिए सम्मति दे दी है। यह थाना दो महीनों में क्रियाशील हो जाएगा और इसे स्वास्थ्य भवन, जयपूर में स्थापित किया जाएगा।

नवीनतम जनगणना से राज्य में निराशाजनक बाल लिंग अनुपात देखने को मिले हैं (०-६), जिसमें केवल नौ ज़िलों में यह अनुपात ६०० से अधिक का है जबकि २००१ की जनगणना में २३ से अधिक ज़िलों में यह अनुपात मौजूद था। १० वर्ष पहले लिंग अनुपात ६०६ का था, जोकि आज गिरकर ८८३ रह गया है।

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार 'कई केसों में सम्बद्ध थानों में, विशेषकर देहात के क्षेत्रों में स्थित थानों में अज्ञानता दिखाई पड़ती है। इसलिए हम अब एक व्यापक ब्यूरो बनाना चाहते हैं जो गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, १९९४ के उल्लंघन के केसों को देखेगा।'

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया "विभिन्न थानों में रजिस्टर किये जाने वाले केसों को यहाँ हस्तांतरित कर दिया जाएगा और पुलिस तथा चिकित्सा अधिकारी एक टीम के रूप में काम करेंगे ताकि दोषियों के विरुद्ध मज़बूत अभियोजन निश्चित किया जा सके"।

डी.जी.पी. श्री हरीश मीणा ने कहा, "हम चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को इस ब्यूरो की स्थापना में सभी सम्भव सहायता प्रदान करेंगे"।

राजस्थान में यह शुरुआत बहुत ही आवश्यक थी। दूसरे ऐसे राज्यों में भी, जैसे कि पंजाब आदि जहाँ कन्या भ्रूण हत्या के केस अधिक हैं, ऐसे विशिष्ट थानों के स्थापना की आवश्यकता है ताकि दोषियों को शीघ्र और प्रभावपूर्ण रूप से दण्ड दिलाने में सहायता मिले।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, १८ सितंबर २०१२)

रक्षकों की कुर्बानियां बेकार न जाए!

पुलिस स्मरणोत्सव दिवस हर वर्ष २१ अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार भी विभिन्न पुलिस संगठनों द्वारा इसे राष्ट्रीय राजधानी में मनाया गया। तकरीबन ५५० पुलिसकर्मी और अर्ध सैनिक बलों ने पिछले वर्ष विभिन्न ऑपरेशनों में अपनी जान गंवाई है।

जिसमें सेन्ट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स में ११३ जनहानि हुई इसके बाद ६, उत्तर प्रदेश में यह आँकड़ा सबसे अधिक ११२ का था और बी.एस.एफ. में ७२। दूसरे राज्यों में जनहानि का आँकड़ा इस प्रकार है– मणिपुर–६, मेघालय–८, कर्नाटक–५, महाराष्ट्र–४, नागालैंड–४, असम–३, उत्तराखण्ड–५, हिमाचल प्रदेश–३, तमिलनाडू–३, गुजरात–१, केरल–१, राजस्थान–१, त्रिपुरा–१। इसके अलावा आर.पी.एफ.–१६, एस.एस.बी.–५ और एस.पी.जी.–२ तथा आई.टी.बी.पी.–२।

वहीं दिल्ली पुलिस के १६ जवानों ने पिछले साल किसी हमले या ऑपरेशन के दौरान अपना जीवन दान दिया। दिल्ली के कमिश्नर श्री नीरज कुमार ने इसकी स्मृति में १६ अक्टूबर को उन जवानों को किंगस्वे कैंप के न्यू पुलिस लाईंस ग्राउंड में श्रद्धांजलि अर्पित की जिहोंने सितम्बर २०११ से ३१ अगस्त २०१२ तक विभिन्न पुलिस बलों में अपनी जान की आहुति दी है।

लेकिन, पुलिस के इस स्मृतिदिवस की अहमियत आज भी आम लोगों में शायद नहीं है बल्कि लोगों में इसकी जानकारी ही नहीं है। यही कारण है कि पुलिस के बलिदान को उतनी अहमियत नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है लेकिन उनका भी ध्यान इस महत्वपूर्ण दिन पर बहुत कम जाता है इससे पुलिस का मनोबल कमजोर होना स्वाभिक है। आशा है, इस ओर आम जनता और राजनेताओं का ध्यान दिलाने में मीडिया साकारात्मक भूमिका निभाएगी क्योंकि एक भी पुलिसकर्मी की असमय मृत्यू से कई नागरिक असुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए, हमारे रक्षकों की सुरक्षा का हर सम्भव इंतजाम होना चाहिए और उनके बलिदानों को उचित सम्मान भी मिलना चाहिए।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम २२ अक्टूबर २०१२)

क्या महिला थाना उचित विकल्प है?

हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने राज्य में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध को देखते हुए महिलाओं के लिए अलग थानों की मांग की है। लेकिन, राज्य डी.जी.पी. श्री राजीव दलाल ने इस मांग को यह कहकर नकार दिया है कि यहाँ अलग थाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर थाने में महिला पुलिसकर्मी पहले ही मौजूद हैं। साथ ही, राज्य पुलिस में ४०० महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाने वाली है।

प्राधिकरण सचिव श्री दीपक गुप्ता ने बतलाया कि यह निर्णय इस तथ्य को देखते हुए लिया गया है कि कई बार पीड़ितों द्वारा सहायता मांगने पर थानों में कार्यवाही नहीं की जाती है। हाल ही में, फतेहाबाद में एक बलात्कार पीड़ित लड़की जब शिकायत करने के लिए थाने गई, तब पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने यह भी बताया कि २००६ में राज्य प्राधिकरण ने एक मॉडल स्कीम की शुरुआत की थी जिसके अंतर्गत बलात्कार पीड़ितों और महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों से पीड़ितों को कानूनी सहायता प्राधिकरण द्वारा अभियोजन के लिए वकील उपलब्ध कराया जाता है, जो इन्हें विभिन्न विभागों से मुआवजा दिलवाने में भी सहायता करते हैं।

राज्य प्राधिकरण ने महिला सहायता के लिए एक टोल फ्री न. १८००१८०२०५७ की भी घोषणा की है।

महिलाओं के लिए राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा टोल फ्री नम्बर की घोषणा करना महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में सहायक सिद्ध हो सकता है। हांलाकि, अलग महिला थानों की स्थापना करने से बेहतर है सभी थानों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना करना और पुलिसकर्मियों को महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति संवेदनशील बनाना।

(सौजन्य : डेली पायनियर डॉट कॉम, २२ अक्टूबर २०१२)

पृष्ठ १ का शेष.....

अधिदेश बहुत साफ है – हमें कानून व्यवस्था बनाए रखना है और अपराधों को रोकना तथा उनकी जाँच करना है और इन सबके लिए हमारे पास उचित कानून उपलब्ध हैं अगर अदालत में पुलिस द्वारा दर्ज बयान मान्य नहीं है तब भी वर्तमान समय में यही कानून है और इसे तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है। जाँच के लिए कोई शॉट–कट नहीं हो सकता है।

अगर आपको पुलिस में सुधार करने का अधिकार प्राप्त हो तो आप नीति स्तर पर क्या सुधार करना चाहेंगे जिससे कि पुलिस बेहतर कार्य निष्पादन कर सके?

मैं कई तरह की अवसंरचना सम्बन्धित कमियों को दूर करने की कोशिश करना चाहूंगा। मानव संसाधन की उपलब्धता और अधिक फौरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना की ओर ध्यान देने कि आवश्यकता है। इसके अलावा पुलिस को केवल ऑपरेशन ड्यूटी में नियुक्त किया जाना चाहिए, दूसरे कार्यों को बाहरी स्रोत को सौंप दिया जाना चाहिए जैसे कि पार्किंग और सत्यापन का काम। साथ ही, निरोधक पुलिसिंग पर भी अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी–११७, दूसरा तल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली–११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६९८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org